भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3031
06 अगस्त, 2021 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

निजी अस्पतालों में गरीबों को मुफ्त इलाज

3031. श्री संजय भाटिया:
श्री मितेष पटेल (बकाभाई):
सुश्री सुनीता दुग्गल:
श्रीमती शारदा अनिल पटेल:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मौजूदा मानदंडों के अनुसार निजी अस्पतालों के ओ.पी.डी. में गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) निजी अस्पतालों द्वारा उपरोक्त प्रावधान के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने या सत्यापित करने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई प्रणाली का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानों या मानदंडों के उल्लंघन के मामले में निजी अस्पतालों के लाइसेंस रद्द करने का कोई प्रावधान है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चूककर्ता अस्पताल के विरुद्ध राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार क्या दंडात्मक कार्रवाई की गई है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रवीण पवार)

(क) से (ङ): स्वास्थ्य राज्य का विषय है। यह राज्य/संघ राज्य (यूटी) सरकार को देखना है कि वह ऐसे मानदंड बनाएं और लागू करें जिनमें निजी अस्पतालों के बाह्य रोगी विभागों (ओपीडी) में गरीबों के निःशुल्क उपचार हेतु आरक्षण का प्रावधान हो।

इसके अतिरिक्त, नैदानिक प्रतिष्ठान (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 (सीई अधिनियम, 2010), राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जहां कहीं उक्त अधिनियम लागू है, में स्थित अस्पतालों के पंजीकरण हेतु प्रावधान है। पंजीकरण के लिए, अस्पतालों को राष्ट्रीय नैदानिक प्रतिष्ठान परिषद (एनसीसीई) द्वारा यथा

अनुमोदित सुविधाओं और सेवाओं के न्यूनतम मानकों का अनुपालन किया जाना अपेक्षित है। इन न्यूनतम मानकों में स्थानीय/राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरणों की कानूनी अपेक्षाओं का अनुपालन करने की आवश्यकता भी शामिल है। यदि पंजीकरण की शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, तो सीई अधिनियम, 2010 में अस्पताल का पंजीकरण निरस्त करने का प्रावधान है।

अब तक नैदानिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 2010, 11 राज्यों नामतः सिक्किम, मिजोरम, अरूणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, राजस्थान, असम और हरियाणा राज्यों में तथा दिल्ली और लद्दाख को छोड़कर सभी संघ राज्य क्षेत्रों में लागू हैं।

******